न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	22/2023	2023/26	22.09.23	सरकार बनाम विजय कुमार	26.02.2026	1 लगायत4

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 22/2023 (2023/26)

उनवान प्रकरण

1. बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु.चि.एवं स्वा अधिकारी सवाई माधोपुर। आवेदक

बनाम

1. विजय कुमार पुत्र गोविन्द प्रसाद गुप्ता, निवासी आर्य समाज मन्दिर के पास, गंगापुर सिटी, जिला–सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर (विक्रेता)
2. सन्तोष कुमार गुप्ता पुत्र हटीलाराम, निवासी आर्य समाज मन्दिर के पास, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर (प्रोपराईटर), गैसर्स सन्तोष ब्रदर्स, आर्य समाज मन्दिर के पास, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर।–

अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 152 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस तरह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 17.01.2023 को साय: 02.45 पी.एम पर आर्य समाज मन्दिर के पास गंगापुरसिटी सवाईमाधोपुर स्थित मैसर्स सन्तोष ब्रदर्स पर पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता स्वयं को विक्रेता होना बताया। विजय कुमार गुप्ता ने फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र एवं स्वंय का आधार कार्ड, जीएसटी प्रमाण पत्र दिखाया जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु लगभग 70 पैकिट्स **Sweet Supari (Marrie Brand)** रखी हुई थी। **Sweet Supari (Marrie Brand)** अनदेशा होने पर उससे नमूना पॉच ... किलोग्राम वजनी 20 पैकिट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

खरीदकर उसकी में गुणवत्ता / मिलावट का कीमत 1000/– रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान घनश्याम के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयंआवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Sweet Supari (Marrie Brand)** 2 किलोग्राम वजनी 20 पैकिट को मूल ही लेकर 04–04 पैकिटी के 04 भाग बनाकर तथा लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H–2572** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **H–2572** नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विजय कुमार (विक्रेता) ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विजय कुमार (विक्रेता) को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/195–198 दिनांक 21.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/127/A/2023/211 दिनांक 25.01.2023 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/127/**Act-**/2023/211 दिनांक 25.01.2023 निम्नानुसार है:—

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-B

Test Report of the Food Analyst

[Refer Regulation (2) of 2.3.1]

Report No. L.S. / 127 / Act / 2023 / 211

Date: 25-01-2023

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Babu Lal Taganya, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Sweet Supari (Marie Brand)" bearing Code number and Serial number H-2572 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 18-01-2023 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Processed Sweet Supari (Betel Nut)" falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 19-01-2023 to 25-01-2023 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact company packed polythene packing of 5x90g. One packet contains 60 pouches of 1.5g each.

(2) Physical appearance : - Brown and light brown coloured sweet supari.

(3) Label : -

Brand name : - Marie Sweet Supari Flavoured Betelnuts

Batch No. : - M-11

Date of Mfg. / Pkg. : - 11/2022

Expiry/Use by : - Not given

Symbol for Veg. /Non Veg. : - Green symbol given.

Nutritional Information : - Given but not given in prescribed format.

Ingredients : - Dry Dates, Betelnut, Sugar, Saccharin (INS 954), Edible Oil (Palm Kernel Oil), Menthol. This Supari Contains Saccharin. Not Recommended for Children. Contains Artificial Sweetener and for Calorie Conscious. Quantity of Sugar added 20g/100g given on the label of sample.

Mandatory declaration - Contain NON-CALORIC SWEETENER- not given on the label of sample.

Name & Address of Mfr. /Pkr. : - Marie Products Pvt. Ltd, F-559(C), Road No. 6, VKIA, Jaipur, Rajasthan-302013, FSSAI License No. :- 12217026001548

Chewing of supari is injurious to health given.

Contravention of Regulation No. 5(3)(b), 5(10)(a) and 7(1) of Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulation, 2020.

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Moisture	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	5.93%.	Proprietary Food
2.	Test for mineral oil	-----do-----	Negative	As per Regulation No.3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
3.	Test for saccharin	-----do-----	Positive	As per Regulation No.3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
4.	Added colouring matter.	-----do-----	Absent	As per Regulation No. 3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
5.	Test for added sugar	-----do-----	Positive	Positive

Opinion- The sample of "Sweet Supari (Marie Brand)" bearing Code No. and Sr. No. H-2572 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act, 2006.

Signed this 25th day of January 2023

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

Food Analyst
(Authorized Signatory)
SHUCHITA AGRAWAL
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:47 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **Sweet Supari (Marrie Brand) Misbrand Food Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety**

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Sweet Supari (Marrie Brand) Misbrand Food Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standard Act. 2006** प्रकृति का होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ **Sweet Supari (Marrie Brand) Misbrand Food Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standard Act. 2006** प्रकृति का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गईं।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ **Sweet Supari (Marrie Brand) Misbrand Food Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standard Act. 2006** प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

and Standard Act. 2006 प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ Sweet Supari (Marrie Brand) Misbrand Food Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standard Act. 2006 प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत जुर्माना राशि 5,000 रूपये (अक्षरे–पांच हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:47 IST
Reason: SelfAttested